(10)

S.D.O. सागर

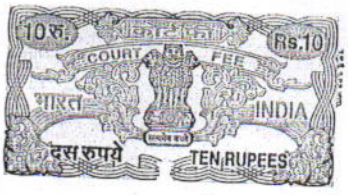

20रु. कोर्ट फीस COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

10रु. कोर्ट फीस COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

I/निगरानी/सागर/भू.रा/2018/1702

सुरेश पिता श्री रामशिरोमणि शुक्ला
निवासी शिवाजी वार्ड, तह0 व जिला सागर

.......आवेदक

//विरूद्ध//

1. श्रीमती श्यामबाई पिता श्री हरिराम विश्वकर्मा, पति करनसींग विश्वकर्मा नि. ग्राम ईश्वरपुर देवरी
2. संतोष जड़िया पिता जगन्नाथ प्रसाद जड़िया निवासी गांधी चौक वार्ड सागर
3. देवीप्रसाद विश्वकर्मा पिता श्री हरिराम विश्वकर्मा,
4. कमल विश्वकर्मा पिता श्री हरिराम विश्वकर्मा,
5. हरेलाल विश्वकर्मा पिता श्री हरिराम विश्वकर्मा,
6. धनीराम विश्वकर्मा पिता श्री हरिराम विश्वकर्मा,
7. शांतिबाई पिता श्री हरिराम विश्वकर्मा, पति लखनलाल विश्वकर्मा,
8. लीलाबाई विश्वकर्मा पिता श्री हरिराम विश्वकर्मा, पति संतोष विश्वकर्मा, सभी निवासी ग्राम भोहासा, तह. केसली जिला सागर म.प्र.
9. म.प्र. शासन ....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत् धारा-50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के अपील प्रकरण क्रमाँक 368/अ-6/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 23-01-18 से परिवेदित होकर निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता हैः-

1. यह कि, इस प्रकरण में श्रीमान तहसीलदार सागर द्वारा पारित बिस्तृत आदेश जो श्रीमान के समक्ष दस्तावेज क्र.1 पर अवलोकनीय है एवं अनुविभागीय अधिकारी सागर द्वारा पारित आदेश जो दस्तावेज क.2 पर अवलोकनीय है को निरस्त किया जाकर रजिस्टर्ड विक्रयपत्र जो दस्तावेज क.3 पर अवलोकनीय है। के आधार पर किए गए नामांतरण आदेश को अपर आयुक्त सागर द्वारा निरस्त किए जाने से यह निगरानी विधितव रूप से श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। जो समय सीमा में श्रवण योग्य है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R/702/2018/निगरानी/मु.रा./सागर

सुरेश वि श्यामबाई व अन्य-4

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2/5/19	- आवेदक सुरेश की ओर से अभि श्री सुनील जादौन उपस्थित। - शासकीय अभि. श्री राजीव शर्मा उपस्थित। - आवेदक अभि० के 23/4/19 के आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण सुना गया। आवेदक अभि. के आवेदन पत्र व उनके मौखिक कथन अनुसार पक्षकारों के मध्य समझौता होने के कारण वह प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। - शासकीय अभि को कोई आपत्ति नहीं है। - अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण इसी Stage पर समाप्त किया जाता है। (हस्ताक्षर) 2/5/19	(हस्ताक्षर) 2/5/19